

प्रथम सूचना रिपोर्ट
 (अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला:- ए.सी.बी. घौकी कोटा थाना.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, मु0निव्युरो जयपुर प्र0सू0रि0संख्या ३७२९२२ दिनांक २२५१२०२२
2. (1) अधिनियम—भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये - 7, 7ए
 (2) अधिनियम— भारतीय दण्ड संहिता धाराये - 120 बी
 (3) अधिनियम..... धाराये -
 (4) अन्य अधिनियम धाराये.....
3. (अ) रोजनामध्या आम रपट संख्या..... ५१८ समय ५.३०.८.म.....
 (ब) अपराध घटने का दिन ... गुरुवार दिनांक 21.04.2022... समय 10.04 ए.एम.
 (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 28.10.2021... समय 01.10 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित / मौखिक — हस्तलिखित रिपोर्ट
5. घटना स्थलः—
 (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः— बजानिब उत्तर व 45 किलोमीटर
 (ब) पता— लालाजी स्वीटस, कोटा झालावाड नेशनल हाई वे, दरा स्टेशन जिला कोटा जरायम देही संख्या.....
 (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना — घौकी भोरुकलां थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण।
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
 (अ) नामः— श्री दुर्गेश बैरागी
 (ब) पिता का नाम — स्व० लालचन्द बैरागी
 (स) जन्म तिथी / वर्ष..... उम्र 43 वर्ष
 (द) राष्ट्रीयता— भारतीय
 (य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथी.....
 जारी होने की जगह.....
 (र) व्यवसाय— वेन्डर रेल्वे स्टेशन
 (ल) पता— रामगंजमंडी जिला कोटा।
7. इतात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का व्योरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
 (1) श्री बृजमोहन मीणा पुत्र श्री रामफल मीणा उम्र 58 साल जाति मीणा निवासी मु0पो० जगजीवनपुर तहसील व जिला भरतपुर, निवास म0न0 34 गोदिन्दनगर जगतपुरा जयपुर, हाल निवास रेल्वे क्वाटर रामगंजमंडी हाल निरीक्षक, रेल्वे सुरक्षा बल थाना रामगंजमंडी कोटा।
 (2) श्री रणधीर सिंह पुत्र श्री रमेशचंद जाति जाट उम्र 48 निवासी म0न0 12 यश विहार कॉलोनी सोगरिया रोड कोटा जंक्शन कोटा हाल कानी० रेल्वे सुरक्षा बल थाना रामगंजमंडी कोटा।
 (3) श्री राहुल दैष्यव उर्फ गोलू पुत्र श्री नन्दलाल जाति बैरागी उम्र 26 साल निवासी— वार्ड नं. 11, दरा थाना कनवास जिला कोटा। (प्राइवेट व्यक्ति)
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः— शून्य..
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य..... 5000/- रुपये.....
11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगाये) :-

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 28.10.2021 समय 01.10 पी.एम पर परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी पुत्र स्व० लालचन्द बैरागी उम्र 43 साल जाति बैरागी निवासी रामगंजमंडी ने भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरों कोटा मे उपस्थित होकर एक हस्तलिखित शिकायत श्री ठाकुर चन्दशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय की पेश की कि— मैं दुर्गेश बैरागी पुत्र स्व० लालचन्द बैरागी उम्र 43 साल जाति बैरागी निवासी रामगंजमंडी का रहने वाला हूँ। मैं रामगंजमंडी रेल्वे स्टेशन के पर लाईसेंसी पं०स० 22221163000014 चाय पानी की ट्रॉली पर वेन्डर हूँ। रामगंजमंडी रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 01 पर ट्रॉली नम्बर 01 जो श्री महेश कुमार के नाम से पंजीकृत है जिसका संचालन प्लेटफार्म नम्बर 01 पर ट्रॉली नम्बर 01 (चाय पानी की स्टॉल) को चलाने के लिए आर०पी०एफ० थाना मैं ही करता हूँ। मुझसे ट्रॉली नम्बर 01 (चाय पानी की स्टॉल) को चलाने के लिए आर०पी०एफ० थाना रामगंजमंडी जिला कोटा राजस्थान के आई०पी०एफ० श्री बृजमोहन मीणा एस०एच०ओ० (रेल्वे पुलिस निरीक्षक) मन्थली बच्ची 5000/- रुपये देने का दबाव बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुमको रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी पर ट्रॉली चलानी है तो मुझे मासिक बच्ची देनी पड़ेगी नहीं तो तुम्हारा सारा धन्धा चौपट कर दूँगा। तुम्हारे अलावा तुम्हारी ट्रॉली पर ओर कोई लड़का नजर आया तो केस बनवाकर

जैल भेज दूंगा। मैंने उनसे काफी निवेदन किया कि साब अभी धन्या पानी कोरोना के चक्कर में बहुत मन्दा है। मैं आपको मासिक बन्धी नहीं दे सकता हूँ। अभी तो मेरा स्वयं का खर्चा भी धन्ये में नहीं निकल पा रहा है। परन्तु बृजमोहन मीणा आई०पी०एफ० साठ मेरे किसी भी निवेदन को मानने को तैयार नहीं है। आई०पी०एफ० बृजमोहन मीणा मेरे पास उनके रणधीर हैड कानिस्ट्रेबल को बार बार मेरे पास मन्थली लेने भेजते हैं। रणधीर हैड कानिं० ही आई०पी०एफ० बृजमोहन मीणा के लिये मासिक बन्धी गोलू दलाल के मार्फत वसूली करता है। मेरे जायज काम के बदले आई०पी०एफ० बृजमोहन मीणा (एस०एच०ओ०) व रणधीर हैड कानिस्ट्रेबल को मासिक बन्धी नहीं देना चाहता हूँ बल्कि इन दोनों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरा उनसे कोई रूपया पैसा का उधार का लेनदेन बाकि नहीं है और नहीं मेरी उनसे दुश्मनी है। कार्यवाही करने की कृपा करें। श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान को उनके कक्ष में बुलाकर वहां उपस्थित परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी से परिचय करवाया तथा परिवादी का पेशशुदा प्रार्थना पत्र को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी के अपने कक्ष में आया तथा परिवादी द्वारा पेश लिखित प्रार्थना पत्र का अबलोकन किया एवं मजीद दरयाफ़त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्त लिखित होना बताया। परिवादी को प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद की। मजीद दरयाफ़त व पेश प्रार्थना पत्र से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने से परिवादी की शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी का परिचय श्री भरत सिंह कानिं० 515 से करवाया गया तथा मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड निकलवाया जाकर, परिवादी को उसे चालू व बन्द करने की विधि समझाई। आरोपीगण बृजमोहन मीणा आई०पी०एफ०, श्री रणधीर हैड कानिं० थाना रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी से अपने कार्य व रिश्वत राशि की मांग के संबंध में स्पष्ट वार्ता करने तथा होने वाली वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड करने की समझाई शक्ति गयी। इस पर परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी ने बताया कि आज मुझे काम है इसलिये उनसे आज वार्ता नहीं हो पायेगी। अतः आप श्री भरत सिंह कानिं० 515 को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड देकर कल दिनांक 29.10.2021 को भिजवा देना। इस पर परिवादी व श्री भरत सिंह कानिं० के मोबाइल नम्बरों का आपस में आदान प्रदान करवाया गया। श्री भरत सिंह कानिं० को कल दिनांक 29.10.2021 को परिवादी से वार्ता कर डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के रवाना होने के निर्देश प्रदान किये गये। परिवादी के बताये अनुसार आज दिनांक को गोपनीय सत्यापन होना संभव नहीं होने से परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी को आवश्यक हिदायत कर रुकसत किया गया।

दिनांक 29.10.2021 को समय 11.00 ए.एम. पर श्री भरत सिंह कानिं० 515 को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी के बताये स्थान पर पहुँचकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी जिला कोटा राजस्थान के लिये रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दुर्गी डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी। समय -11.30 पी.एम. पर श्री भरत सिंह कानिं० 515 वापस कार्यालयहाजा आया ओर श्री भरत सिंह कानिं० 515 ने अपने पास से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के पुनः चालू व बंद करने की विधि समझाकर सुपुर्द कर दिया था। मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के आस पास ही निरगानी हेतु रेल्वे स्टेशन के प्लेट फार्म नम्बर १ पर मुकिम हो गया था। परिवादी दुर्गेश बैरागी ने अपने स्तर पर आरोपीगणों का पता किया तो रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी से बाहर होना ज्ञात हुआ इस पर आरोपीगणों का काफी इंतजार करने के बाद परिवादी आरोपी रणधीर से मिला किन्तु वह कोई कार्य में व्यस्त होने से कोई बात नहीं होनी पायी। आज परिवादी आरोपी रणधीर से मिला किन्तु वह कोई कार्य में व्यस्त होने से कोई बात नहीं होनी पायी। आज परिवादी ने मुझको डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर दिया था। जिसकी फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की गई। डिजीटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया।

दिनांक 12.04.2022 को समय 11.17 ए.एम. पर परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी ने श्री भरत सिंह कानिं० 515 के मोबाइल पर कॉल करके मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आरोपी गण श्री बृजमोहन

माणा आईपी0एफ0 व श्री रणधीर हैड कानिं0 आर0पी0एफ0 थाना रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी मुझसे बीच मे तो कोरोना के कारण धन्दा मन्दा होने से मथली रिश्वत राशि नहीं मांग रहे थे परन्तु अब वापस मुझ पर श्री बृजमोहन मीणा आईपी0एफ0 व श्री रणधीर हैड कानिं0 मथली देने के लिये बार बार दबाव बना कर धन्दा चौपट करने की धमकी दे रहे हैं। मैं उनको रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। अतः आप श्री भरत सिंह कानिं0 को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के दिनांक 13.04.2022 प्रात 7.00 ए.एम. पर भेज देना मेरी उक्त दोनों से रिश्वत संबंधी वार्ता हो जायेगी। इस पर श्री भरत सिंह कानिं0 515 को दिनांक 13.04.2022 प्रात 7.00 ए.एम पर डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी के बताये स्थान पर जाने हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक 13.04.2022 को समय 07.00 ए.एम. पर श्री भरत सिंह कानिंग 515 को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी के बताये स्थान पर पहुंचकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी जिला कोटा राजस्थान के लिये रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी। समय -05.00 पी.एम. पर श्री भरत सिंह कानिंग 515 वापस कार्यालयहाजा आया और श्री भरत सिंह कानिंग 515 ने अपने पास से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड पेश किया तथा बताया कि मैं डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के कार्यालय हाजा से रवाना होकर रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी पहुंचा। जहां पर मुझे पूर्व के पाबन्दशुदा परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी उपस्थित मिले जिनको मैंने अपने पास से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के पुनः चालू व बंद करने की विधि समझाकर सुपुर्द कर दिया था। मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के आस पास ही निगरानी हेतु रेल्वे स्टेशन के लेट फार्म नम्बर 1 पर मुकिम हो गया था। कुछ समय बाद परिवादी ने एक व्यक्ति जो परिवादी की द्वाली की तरफ आ रहे कि ओर ईशारा कर मुझे बताया कि यह आई०पी०एफ० बृजमोहन मीणा है इस पर परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी ने डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके आई०पी०एफ० बृजमोहन मीणा के पास गया और परिवादी उनसे बात करके उनके जाने के बाद मेरे पास आया तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर बंद करके मुझे बताया कि आई०पी०एफ० बृजमोहन मीणा रणधीर हैड कानिंग से बात करने के लिये बोल रहे हैं। इस पर हम रणधीर हैड कानिंग के आने के इंतजार मे मुकिम हुए। काफी देर बाद रणधीर हैड कानिंग से बात करके उसके जाने के बाद डिजीटल वाईस रिकार्डर बंद करके मुझे बताया कि रणधीर हैड कानिंग मुझसे पिछले महिने मार्च 2022 के पांच हजार रुपये तथा इस माह अप्रैल 2022 के ग्यारह हजार रुपये मांगकर दलाल गोलू के माफत लेने सबंधी बात हुई है। रिश्वत राशि दलाल गोलू को देनी है। परिवादी ने कहा कि दलाल गोलू जब मुझसे रिश्वत राशि लेने आयेगा तब मैं आपको जर्ये मोबाइल कॉल करके बता दूंगा और परिवादी ने बताया कि आज मेरे जरूरी काम है इसलिये मैं आपके साथ कॉल करके नहीं चल सकता हूँ। आप यह डिजीटल वाईस रिकार्डर ले जाओ। इस पर परिवादी ने मुझको कोटा नहीं चल सकता हूँ। आप यह डिजीटल वाईस रिकार्डर ले दीजिए। परिवादी रामगंजमंडी ही रुक गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर दिया था। परिवादी रामगंजमंडी ही रुक गया। परिवादी द्वारा बाद रिश्वत मांग सत्यापन पेश डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक ने प्राप्त करके रिकार्डर मे रिकार्ड बातीओं को सुना गया तो भरत सिंह कानिंग 515 के कथनों पुष्टि हुई। जिसकी फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर मुर्तिब की गई। डिजीटल वाईस रिकार्डर की सरक्षित मालखाने मे रखवाया गया।

को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया।

दिनांक 17.04.2022 को समय 04.00 पी.एम.पर परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी ने जर्ये भरत सिह कानिंग के मोबाइल कॉल करके मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरी दलाल गोलू से बात हुई थी, दलाल गोलू ने सोमवार दिनांक 18.04.2022 को अवध एक्सप्रेस ट्रैन से करीब 1.00. पीएम पर रेलवे स्टेशन रामगंजमंडी पर मन्थली रिश्वत राशि पांच हजार रुपये लेने आने के लिये कहा है। इस पर कल दिनांक 18.04.2022 को ट्रैप कार्यवाही की संभावना होने के कारण मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी को मध्य रिश्वत राशि 5000/- रुपये लेकर प्रातः 6.00 एम पर कार्यालय हाजा उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। समय 04.30 पी.एम पर कल दिनांक 18.04.2022 को ट्रैप हाजा उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। समय 04.30 पी.एम पर कल दिनांक 18.04.2022 को कार्यवाही की संभावना होने के कारण दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने तथा आज रविवार का दिन होने से जर्ये मोबाइल कॉल करके कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा के दो स्वतंत्र गवाह कल दिनांक 18.04.2022 को समय 6.00 एम पर कार्यालय हाजा उपस्थित आने हेतु पाबन्द करवाये गये।

दिनांक 18.04.2022 पर ०६.३० ए.म. पर परिवारी श्री दुर्गेश बेरागा पुत्र स्व० लालचन्द
दिनांक 18.04.2022 को समय ०६.२० ए.म. पर परिवारी श्री दुर्गेश बेरागा पुत्र स्व० लालचन्द
बेरागी उम्र ४३ साल जाति दैरागी निवासी रामगंजमंडी मय रिश्वत मे दी जाने वाली राशि ५०००/-
लेकर कार्यालय हाजा उपस्थित आया। समय ०६.३० ए.म. पर पूर्व के पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री
रविराय शर्मा हाल वनरक्षक व श्री गजानंद प्रसाद वर्मा हाल वनपाल— कार्यालय, उपदेवन संरक्षक, कोटा

कार्यालय हाजा उपस्थित आये। जिनसे उक्त ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति चाही गयी तो उक्त दोनों गवाहान ने पृथक पृथक सहमति जाहिर की इसके उपरांत उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिचय परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी से करवाया गया तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढ़कर सुनाया गया जिस पर उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान ने लिखित में अपनी सहमति देकर अपने अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 13.04.2022 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन प्रथम परिवादी दुर्गेश बैरागी एवं आरोपी बृजमोहन मीणा आई०पी०एफ० रेल्वे निरीक्षक आर०पी०एफ० थाना रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी जिला कोटा के मध्य हुई वार्ता, दिनांक 13.04.2022 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दितीय परिवादी दुर्गेश बैरागी एवं आरोपी रणधीर हैड कानिस्टेबल आर०पी०एफ० थाना रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी जिला कोटा के मध्य हुई वार्ता, जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई है डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड से उक्त वार्ताएं श्री भरत सिंह कानि. 515 के द्वारा को लेपटॉप में लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ताओं को पृथक पृथक उक्त परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया तथा पृथक पृथक फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

समय 10.15 ए.एम. पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी पुत्र श्री लालचंद उम्र 43 साल जाति बैरागी निवासी रामगंजमण्डी कोटा ने अपने पास से निकालकर भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रुपये के 10 नोट कुल 5000 रुपये मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बर निम्न प्रकार हैं—

क्र. सं.	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	4 DW 269756
2.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 VT 524970
3.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1 LR 266771
4.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	4 AE 545283
5.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1 AV 174000
6.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 UC 061886
7.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 PR 643789
8.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 PR 653691
9.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 PR 643787
10.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 PR 643788

श्री जोगेन्द्र सिंह कानि 182 से मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानीपूर्वक फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया ताकि पाउडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी दुर्गेश बैरागी की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रविराय शर्मा से लिवाई गई। परिवादी दुर्गेश बैरागी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाइल के अलावा अन्य कोई हस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुए 5000 रुपये के नोट परिवादी दुर्गेश बैरागी के पहनी हुई शर्ट की बायी जेब में श्री जोगेन्द्र सिंह कानि 182 से रखवाये गये। इसके बाद एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर धोल तैयार करवाया गया तो धोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन धोल में श्री जोगेन्द्र सिंह कानि 182 के हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया गया तो धोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टान्त को गवाहान एवं परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के धोल में धुलवाने पर धोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि / नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व धोल को बाहर फिक्कवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई, दृष्टान्त की कार्यवाही में प्रयुक्त किया गया गिलास कार्यालय में ही छोड़ा गया श्री जोगेन्द्र सिंह कानि 182 को कार्यालय में ही उपस्थित रहने की हिदायत दी। ट्रैप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशीयों को साढ़ुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई की उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुवे एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवे तथा रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध में स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद बाहर आकर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर इशारा करें। दोनों स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया गया कि रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। डिजिटल ट्रैप रिकॉर्डर परिवादी

दुर्गेश बैरागी को दिया जाकर घालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु समझाईश दी ।

समय 11.10 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान मय परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रविराय, श्री गंजानन्द, श्री भरत सिंह कानिं 515, श्री नरेन्द्र सिंह कानिं 305, श्री मनोज कुमार कानिं 211 के साथ प्राइवेट वाहन इनोवा मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स के आगे आगे कार्यालय हाजा से रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी जिला कोटा के लिये रवाना हुआ, मेरे पीछे पीछे इमदाद हेतु श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक, श्री दिलीप सिंह व०लि०, श्री मुकेश कुमार कानिं 71, श्री योगेन्द्र सिंह कानिं 282, श्री बृजराज कानिं 159 के सरकारी वाहन गोलेरो से रवाना होकर हम सब रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी जिला कोटा पहुंचे। परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी को आवश्यक हिदायत कर आगे आगे रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी के प्लेटफार्म नम्बर 01 पर स्वयं की चाय पानी की ट्रॉली के लिये रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक ने रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी के प्लेटफार्म नम्बर 01 पर परिवादी की चाय पानी की ट्रॉली आस पास ट्रैप जाल बिछाकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए दलाल गोलू के आने पर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे के इंतजार मे मय टीम के मुकिम हुआ। समय 04.45 पी.एम. पर परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी मन् पुलिस निरीक्षक के पास बिना ईशारा किये आया और उसने बताया कि दलाल गोलू ने अवध एक्सप्रेक्स ट्रैन से आने के लिये कहा था किन्तु वह उस ट्रैन से नही आया और उसके बाद दो तीन ट्रैन ओर भी आ गयी किन्तु वह नही इसके उपरांत भैने उससे कॉल करके बात की तो उसने कल दिनांक 19.04.2022 को अवध एक्सप्रेक्स ट्रैन से करीब 1.00 पीएम पर आने के लिये कहा है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आज ट्रैप कार्यवाही की कोई संभावना नही से परिवादी के पास रखी हुई रिश्वत राशि पांच हजार रुपये लिफाफे मे रखवाकर तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के गवाह के पास सुरक्षित रखवाये गये। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर मौके पर ही छोड़ा गया तथा कल दिनांक 19.04.2022 को समय 12.30 पीएम पर रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी मिलने के लिये कहा गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहान मय जापा मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स मय इमदाद टीम के पृथक पृथक वाहनो से रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी जिला कोटा से कार्यालय हाजा के लिये रवाना होकर कार्यालय हाजा पहुंचा। गवाह के पास सुरक्षित रिश्वत राशि का लिफाफा मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कोर्ड को सुरक्षित मालखाने मे रखवाया गया। उक्त गवाहान को कल ट्रैप कार्यवाही मे चलने हेतु समय 09.30 एम पर कार्यालय हाजा उपस्थित आने व आवश्यक हिदायत कर रुकत्स किया गया।

आवश्यक हिदायत कर रखतासे किया गया। दिनांक 19.04.2022 को समय 09.30 ए.एम. पर पूर्व के पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री रविराय शर्मा हाल वनरक्षक व श्री गजानंद प्रसाद वर्मा हाल वनपाल, कार्यालय, उपवन संरक्षक, कोटा कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 11.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान ने मालखाने से रिश्वत राशि का लिफाफा व डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड निकलवाकर गवाह के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसके उपरांत मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रविराय, श्री गंजानन्द, श्री भरत सिंह कानि० 515, श्री मुकेश कुमार कानि० 71, श्री योगेन्द्र सिंह कानि० 282, के साथ प्राइवेट वाहन मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स के आगे आगे कार्यालय हाजा से रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी जिला कोटा के लिये रवाना हुआ, मेरे पीछे पीछे इमदाद हेतु श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक, श्री दिलीप सिंह व०लि०, श्री मनोज कुमार कानि० 211, श्री बृजराज कानि० 159 के प्राइवेट वाहन से रवाना होकर हम सब रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी जिला कोटा पहुचे। हम सब प्लेटाफार्म नम्बर 01 पर पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी के पास पहुंचे। परिवादी को गवाह के पास लिफाफे मे रखी हुई रिश्वत राशि पांच हजार रुपये लिफाफे से निकलवाकर परिवादी की पेन्ट की दांधी जेब मे साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक ने रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी के साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक ने रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी के प्लेटाफार्म नम्बर 01 पर परिवादी की चाय पानी की ट्रॉली आस पास ट्रैप जाल बिछाकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए दलाल गोलू के आने पर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे के इंतजार मे मय टीम के मुकिम हुआ। समय 03.45 पी.एम पर परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी मन् पुलिस निरीक्षक के पास बिना ईशारा किय आया ओर उसने बताया कि दलाल गोलू ने अवध एक्सप्रेस ट्रैन से आने के लिये कहा था किन्तु वह उस ट्रैन से नही आया ओर उसके बाद दो तीन ट्रैन और भी आ गयी किन्तु वह नही इसके उपरांत मैने उससे कॉल करके बात की तो वह बाद पैसे लेने के लिये बोल रहा है, जैसे ही वो आज मुझे पैसे देने के लिये कहेगा मे आपको कॉल करके बता दूंगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आज ट्रैप कार्यावाही की कोई संभावना नही से परिवादी के पास रखी हुई रिश्वत राशि पांच हजार रुपये लिफाफे मे रखवाकर तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के गवाह के पास सुरक्षित रखवाये गये। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर भौके पर ही छोड़ा गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहान

मय जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स मय इमदाद टीम के पृथक पृथक वाहनो से रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी जिला कोटा से कार्यालय हाजा के लिये रवाना होकर कार्यालय हाजा पहुंचा। गवाह के पास सुरक्षित रिश्वत राशि का लिफाफा मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाने से रखवाया गया। उक्त गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रुकतस किया गया।

दिनांक 20.04.2022 को समय 04.30 पी.एम. पर परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी ने जर्ये श्री भरत सिह कानि० 515 के मोबाईल कॉल करके मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं कल दिनांक 21.04.22 समय 09.00 ए०एम० पर कनवास रोड पर स्थित किशोर सागर बालाजी के दर्शन करने जाऊंगा तो मैं गोलू से दरा स्टेशन उसके गांव मे मिल लूंगा और वह मुझसे मिलते ही रणधीर हैड कानि० के लिये मन्थली बन्धी माह मार्च 2022 की पांच हजार रुपये मांगेगा तो आप मुझे दरा स्टेशन के आस पास मिल जाना। इस पर कल दिनांक 21.04.2022 को ट्रैप कार्यवाही की संभावना होने के कारण मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी को कल दिनांक 21.04.2022 को समय 9.00 ए०एम० पर दरा स्टेशन के आस पास मिलने की आवश्यक हिदायत कर पाबन्द किया गया। इस पर ट्रैप कार्यवाही के स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 21.04.2022 को समय 7.00 ए०एम पर कार्यालय हाजा उपस्थित आने की हिदायत कर पाबन्द किया गया।

दिनांक 21.04.2022 को समय 07.00 .ए.एम.पर पूर्व के पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री रविराय शर्मा हाल वनरक्षक व श्री गजानन्द प्रसाद वर्मा हाल वनपाल, कार्यालय, उपवन संरक्षक, कोटा कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 07.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान ने इमदाद टीम श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक, श्री दिलीप सिह व०लि०, श्री मुकेश कुमार कानि० 71, श्री बृजराज कानि० 159 के सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक हेमन्त सिह के आरोपीण बृजमोहन भीणा व रणधीर हैड कानि० को दलाल गोलू के रिश्वत राशि लेने के बाद डिटेन करने हेतु रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी जिला कोटा के लिये आगे आगे रवाना किया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान ने मालखाने से रिश्वत राशि का लिफाफा व डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड निकलवाकर गवाह श्री रविराय शर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री रविराय, श्री गंजानन्द, श्री भरत सिह कानि० 515, श्री मनोज कुमार कानि० 211, श्री योगेन्द्र सिह कानि० 282, के साथ प्राईवेट वाहन इनोवा मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स के दरा स्टेशन के लिये रवाना होकर दरा स्टेशन से कनवास की तरफ जाने वाले रोड पर पहुंचा जहां पर पूर्व का पाबन्दशुदा परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी उपस्थित मिला। परिवादी की गवाह श्री रविराय शर्मा से तलाशी लिवाकर उसके पास मोबाईल को छोड़कर अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी तत्पश्चात् गवाह श्री रविराय शर्मा के पास लिफाफे मे रखी हुई रिश्वत राशि पांच हजार रुपये लिफाफे से निकलवाकर परिवादी की पेन्ट की दांयी जेब मे रखवायी तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड परिवादी को सुपुर्द किया गया। इसके बाद गवाह श्री रविराय शर्मा के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह धूलवाये गये। परिवादी ने बताया कि गोलू दलाल को मैं कॉल करुगां तो वह यही दरा स्टेशन की चाय पानी की दुकान पर आ जायेगा। आप मेरे पीछे पीछे आ जाओं। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके आरोपी गोलू दलाल के पास आगे आगे रवाना करके मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम के उसके पीछे पीछे रवाना हुआ। परिवादी लाला जी स्वीट्स दरा स्टेशन मैन कोटा झालावाड नेशनल हाई वे पर स्थित दुकान के अंदर चला गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने ट्रैप जाल बिछाकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए दलाल गोलू के आने पर परिवादी के बाद रिश्वत लेनदेन के पूर्व निर्धारित ईशारे के इंतजार मे भय टीम के मुकिम हुआ।

समय 10.04 ए.एम. पर रुबरु गवाहान के समक्ष परिवादी दुर्गेश बैरागी ने लालाजी स्वीट्स, कोटा झालावाड मेनरोड दरा स्टेशन पर खडे होकर आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने का ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान, दोनों स्वतंत्र गवाह श्री रविराय शर्मा एवं गजानन्द प्रसाद ट्रैप पार्टी के सदस्य श्री भरत सिह कानि. नं. 515, श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305, श्री मनोज शर्मा कानि. 211, श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 परिवादी के पास पहुंचे। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने अपने पास खडे हुये व्यक्ति की ओर ईशारा कर कहा कि ये ही गोलू हैं जिसने श्री रणधीर सिह हैड साहब रेल्वे सुरक्षा बल थाना रामगंजमंडी के कहने पर मुझ से रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी पर ट्रॉली चलाने की एवज में मासिक बन्धी के पिछले महीने के 5,000 रुपये लिये हैं। इस पर परिवादी के पास खडे हुये व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व टीम का परिचय देकर अपने आने का मन्तव्य बताया व उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राहुल वैष्णव उर्फ गोलू पुत्र श्री नन्दलाल जाति बैरागी उम्र 26 साल निवासी— वार्ड नं. 11, दरा थाना कनवास जिला कोटा बताया। श्री राहुल वैष्णव उर्फ गोलू से परिवादी दुर्गेश से लिये गये रुपयों बाबत पूछा तो बताया कि ये पांच हजार रुपये मैने श्री रणधीर

सिंह जी के कहने पर लिये हैं उन्होने मुझ से फोन पर कहा था कि इस दुर्गेश से इस महीने के न्यारह हजार रुपये लेने हैं आई.पी.ओ. साहब ने कहा हैं तथा पिछले महीने के पांच हजार रुपये भी लेने के लिए बोला था जिसके संबन्ध में मेरी रणधीर जी हैड साहब से कई बार बात हुई थी तथा इसका भी मेरे पास फोन आया था जब मैने इससे अपने लड़के त्रिलोक को रुपये देने के लिए कहा था, किन्तु इसने उसको रुपये नहीं दिये तथा आज इसने यहां दरा में आकर मुझे फोन करके कहा कि मैं यहीं पर होटलों के सामने ही हूं कनवास से आ रहा था तो तुम यहां आ जाओ इस पर मैं यहां आया तो इसने मुझ से रणधीर सिंह जी द्वारा बन्धी के रुपये बढ़ाने तथा धमकाने के बारे में बात की तथा फिर मुझे 5,000 रुपये रणधीर सिंह जी को देने के लिए दिये थे जो ये मेरे हाथ में ही हैं। ये रुपये मैने मेरे लिए नहीं लिये हैं, मुझे भी वो धमकाते हैं तथा मुझ से भी स्टेशन व ट्रेन में मेरे लड़कों द्वारा पेन्ट्री का काम करने देने के लिए बन्धी के रुपये लेते हैं तथा दूसरे वेण्डरों से ली जाने वाले बन्धी के रुपये भी मुझे दिलाते हैं जो वो बाद में मुझ से आकर ले जाते हैं, मुझे ये सब दबाव में करना पड़ता हैं नहीं तो वो मेरा भी काम बन्द करवा देंगे इसलिए मैने रणधीर सिंह को देने के लिए दुर्गेश से पैसे लिये थे मैं इस बाबत रणधीर सिंह जी से बात कर सकता हूं इस पर राहुल वैष्णव उर्फ गोलू ने अपने पहने हुये काले रंग के लॉवर पेन्ट की जेब से दाहिने हाथ से मोबाईल निकाला तथा अपने मोबाईल नम्बर 7849857433 से श्री रणधीर सिंह के मोबाईल नम्बर 7014578576 पर मोबाईल को लाउड स्पीकर पर ऑन करके बात की जिसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करके रिकॉर्ड किया गया। राहुल वैष्णव उर्फ गोलू ने कहा कि सर वो दुर्गेश के आ गये पांच किलो पांच हजार रुपये तो रणधीर सिंह ने कहा कि आ गये ना ठीक हैं तो फिर मैं आऊंगा, तत्पश्चात आरोपी राहुल वैष्णव उर्फ गोलू के बायें हाथ में रखे हुये रुपये स्वतंत्र गवाह श्री रविराय से गिनवाये गये तो पांच-पांच सौ रुपये के दस नोट कुल 5,000 रुपये हैं, जिनके नम्बरों का मिलान गवाहान से फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ, बरामद नोटों के नम्बरों का विवरण निम्न हैं-

क्रमांक	नोटों का प्रकार	नोटों के नम्बर
1.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	4 DW 269756
2.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 VT 524970
3.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1 LR 266771
4.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	4 AE 545283
5.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	2 AV 174000
6.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 UC 061886
7.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 PR 643789
8.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 PR 653691
9.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 PR 643787
10.	पांच सौ रुपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 PR 643788

उक्त नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री रविराय के पास सुरक्षित रखवाया गया। श्री राहुल वैष्णव उर्फ गोलू द्वारा परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी सें श्री रणधीर सिंह एवं श्री बृजमोहन निरीक्षक के लिए 5,000 रुपये लेने के लिए सहमत होने सें आरोपी श्री रणधीर सिंह एवं श्री बृजमोहन मीणा को डिटेन कर लाने हेतु अन्य टीम प्रभारी श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाइल अवगत कराया। श्री राहुल वैष्णव उर्फ गोलू द्वारा परिवादी सें 5,000 रुपये अपने हाथ सें प्राप्त किये हैं, अतः आरोपी श्री राहुल वैष्णव उर्फ गोलू की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की जानी हैं तथा रिश्वत प्राप्त करने का स्थान लाला जी स्वीट्स उपयुक्त नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही पुलिस चौकी मोरुकलां किये जाने हेतु लाला जी स्वीट्स दरा सें मय जाक्का, गवाहान, बरामद की गई रिश्वती राशि, ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों के मय श्री राहुल वैष्णव उर्फ गोलू के हाथों को यथा स्थिती में रखने की हिदायत कर चौकी मोरुकलां पहुंचे जहां श्री मुरारी लाल कानि.368 मिले। श्री मुरारी लाल कानि.368 सें अग्रिम कार्यवाही हेतु कहा तो श्री मुरारी लाल कानि.368 ने कार्यवाही हेतु सहमति दी। तत्पश्चात सें चौकी पर रखे पानी के केप्पर सें पानी लेकर दो कांच के गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक-एक चम्च सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन रुपये एवं अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो घोवन का गोलू के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो घोवन का RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के

घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 से अंकित किया। तत्पश्चात आरोपी श्री राहुल वैष्णव उर्फ गोलू के हाथ सें बरामद रिश्वती राशि पांच हजार रुपये जो स्वतंत्र गवाह श्री रविराय के पास सुरक्षित रखवाये गये थे, को कागज के एक पीले रंग के लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया गया। इसके बाद डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिश्वत राशि लेनदेन के समय रिकॉर्ड हुई वार्ता को मन पुलिस निरीक्षक ने सुना तो परिवादी एंव आरोपी राहुल वैष्णव उर्फ गोलू द्वारा कहे गये कथनों की पुष्टि हुई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं की ट्रासंकिप्ट पृथक सें तैयार की जावेगी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित अपने पास रखा गया। तत्पश्चात समय 11.25 ए.एम. पर श्री अजीत बगडोलिया पु.नि. मय हमराहियान मय श्री बृजमोहन भीणा पुत्र श्री रामफल भीणा उम्र 58 साल जाति भीणा निवासी मु०पो० जगजीवनपुर तहसील व जिला भरतपुर, निवास 2- म०न० 34 गोविन्दनगर जगतपुरा जयपुर, हाल निवास रेल्वे क्वाटर रामगंजमंडी हाल निरीक्षक, रेल्वे सुरक्षा बल थाना रामगंजमंडी कोटा एवं श्री रणधीर सिह पुत्र श्री रमेशचंद जाति जाट उम्र 48 निवासी म०न० 12 यश विहार कॉलोनी सोगरिया रोड कोटा जंक्शन कोटा हाल कानि० रेल्वे सुरक्षा बल थाना रामगंजमंडी कोटा के आये। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी सें रिश्वत के 5,000 रुपये श्री रणधीर सिह, हैड कानि० एवं श्री बृजमोहन, निरीक्षक के लिए श्री राहुल वैष्णव उर्फ गोलू द्वारा लिये जाने बाबत पूछा तो श्री रणधीर सिह कानि० ने बताया कि मैने राहुल सें कभी दुर्गेश सें पैसे लेने के लिए फोन पर नहीं कहा तथा मैने इस राहुल को 15,000 रुपये उधार दे रखे थे। आज इसका फोन आया तो मैं उन 15,000 रुपयों के लौटाने के बारे में समझा इसलिए मैने इसको कहा कि मैं आऊंगा जब ले लूँगा, इन 15,000 रुपयों बाबत मैने इससें कोई लिखा पढ़ी नहीं की थी। इसी कम में श्री बृजमोहन, निरीक्षक सें पूछा तो बताया कि मैने दुर्गेश सें कोई रिश्वत की मांग नहीं की तथा एक दिन इसने मुझ सें बात की थी तो उस समय भी मैने इनके विरुद्ध रेल्वे एकट के दर्ज कराये गये केस के बारे में बात की थी। मैने इस दुर्गेश सें कभी कोई रिश्वत की मांग नहीं की ना ही कभी इससें कोई रुपये प्राप्त किये हैं, इस पर परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी ने रणधीर सिंह कानि० एवं श्री बृजमोहन, निरीक्षक की बात का खण्डन करते हुये कहा कि ये दोनों झूँठ बोल रहे हैं। ये बृजमोहन जी जब सें यंहा आये हैं तब सें ही इन रणधीर सिंह के जरिये मन्थली बस्ती 5000/- रुपये देने का दबाव बना रहे थे, और बोल रहे थे कि तुमको रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी पर ट्रॉली चलानी है तो मुझे मासिक बन्धी देनी पड़ेगी नहीं तो तुम्हारा सारा धन्धा चौपट कर दूँगा जिस पर मैने दिनांक 28.10.2021 को एक लिखित शिकायत आपके कार्यालय में पेश की थी किन्तु इसके बाद मैं जब भी बृजमोहन जी निरीक्षक सें इस बाबत बात करने गया तो ये मुझ कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले तथा इसके बाद ये रणधीर सिंह जी मिले तो इन्होने मुझ सें कहा बृजमोहन जी आई.पी.ओ. साहब ने कहा है कि उस दुर्गेश के काम को बन्द करवा दो तथा उसने पिछले महीने की बन्धी के पैसे भी नहीं दिये तथा उससें कह दो की इस महीने सें ग्यारह हजार रुपये महीने के हिसाब सें बन्धी के देने पड़ेंगे नहीं तो उसका काम बन्द करवा दो। इस पर दिनांक 13.04.2022 को जब मैं बृजमोहन जी सें मिला और इस महीने की बन्धी ग्यारह हजार रुपये ज्यादा होने तथा कम करने के बारे में बात की तो इन्होने कहा कि मैं रणधीर सें बात कर लूँगा तुम उससें बात कर लेना तथा कहा कि तुम चिंता मत करो कोई परेशानी हो तो बताना। इसके बाद मैं इन रणधीर सिंह जी सें मिला तो इन्होने मुझे डांटा तथा कहा कि तुने आईपीओ. साहब (बृजमोहन) सें डायरेक्ट कैसे बात की वो कहे रहे थे कि उसकी मुझ सें बात करने की हिम्मत कैसे हुई तथा फिर कहा कि इस महीने सें ग्यारह हजार रुपये देना नहीं तो तेरा ये काम धन्धा बन्द कर दे इसके बाद मैने इनको कहा कि ये ज्यादा हो जायेंगे दस कर दूँगा तो भी ये नहीं माने तथा कहा कि ग्यारह ही करना नहीं तो तेरा काम बन्द कर दे जब मैने कहा कि ठीक हैं ग्यारह हजार दे दूँगा तो इन्होने कहा कि ये ग्यारह हजार रुपये भी मैं नहीं लूँगा ये रुपये तू गोलू को दे देना वो मुझे दे देगा तथा फिर इन्होने (रणधीर सिंह) गोलू को अपना मोबाईल को लाउड स्पीकर पर करके उससें बात की तथा उससें कहा कि इस दुर्गेश सें इस महीने के ग्यारह हजार रुपये ले लेना तथा पिछले महीने के भी ले लेना जो आपके रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हैं। आरोपीगण श्री रणधीर सिंह कानि० एवं श्री राहुल वैष्णव उर्फ गोलू के मोबाईल सें हुई रिश्वत लेनदेन के संबंध में वार्ता हुई है, अतः आरोपी श्री रणधीर सिंह के मोबाईल RealMe Rmx 3430[Narzo], Color-Grey, First IMEI No.862875059832412 Sim No.-1, 7014578576 And Second IMEI No.862875059832404 Sim No.- NIL तथा आरोपी श्री राहुल वैष्णव उर्फ गोलू के मोबाईल Vivo 1901, Color-Black, First IMEI No.86 1001041490596 Sim No.-1, 7849857433 And Second IMEI No.861001041490588 Sim 1001041490596 को बतौर वजह सबूत जब्त कर एक सफेद कपड़े की थैली में पृथक- पृथक

रखकर सील्ड मोहर कर रणधीर सिंह के मोबाईल को मार्क RVM अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसबी लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री रणधीर सिंह कानि.की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रविराय से लिवाई गई तो एक पर्स मिला जिसमें एक ड्राईविंग लाईसेन्स तथा एक एसबीआई बैंक का एटीएम रखा हुआ मिला। उक्त एसबीआई बैंक के एटीएम नं.5103720405539766 हैं जिसके अकाउण्ट नम्बर के बारे में पूछा तो अनभिज्ञता जाहिर की, उक्त के अलावा आरोपी श्री रणधीर सिंह के पास कोई संदिग्ध वस्तु दस्तयाब नहीं हुई तत्पश्चात श्री बृजमोहन, निरीक्षक की तलाशी लिवाई गई तो उसके पहने हुये कपड़ों में एक मोबाईल एम आई कम्पनी का सिल्वर रंग का तथा एक पर्स मिला। पर्स में पांच पांच सौ रुपये के 11 नोट कुल 5500 रुपये तथा एक ड्राईविंग लाईसेन्स मिला। रुपयों बाबत बताया कि ये रुपये मैं पिछले महीने जयपुर गया था जब एटीएम से मेरे खर्चे हेतु निकाले थे। उपरोक्त के अलावा कोई अपत्तिजनक वस्तु दस्तयाब नहीं हुई तत्पश्चात आरोपी श्री राहुल वैष्णव उर्फ गोलू की तलाशी लिवाई गई तो उसके पास कोई संदिग्ध वस्तु दस्तयाब नहीं हुई। उक्त दस्तावेज व पर्स को सुरक्षित रखवाया गया तथा श्री बृजमोहन निरीक्षक के पास मिली नगद राशि 55,00 रुपयों के बाबत दिया गया जबाब संतोषप्रद होने से आरोपी श्री बृजमोहन निरीक्षक के पास से मिले 55,00 रुपये एवं मोबाईल सुरक्षित रखवाये गये।

इसके बाद दिनांक 21.04.2022 को दौराने रिश्वत राशि लेन-देन परिवादी श्री दुर्गेश वैरागी एवं आरोपी राहुल वैष्णव उर्फ गोलू के मध्य हुई वार्ता, दिनांक 21.04.2022 को बाद रिश्वत राशि लेन-देन आरोपी राहुल वैष्णव उर्फ गोलू व आरोपी रणधीर कानिस्टेलब आर०पी०एफ० थाना रामगंजमंडी कोटा के मध्य हुई मोबाइल वार्ता, जिन्हे डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड किया है, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड से उक्त वार्ता श्री भरत सिंह कानि. 515 के द्वारा को लेपटॉप में लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को पृथक पृथक सुनाया गया तथा फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक पृथक नियमानुसार तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री बृजमोहन मीणा, आरोपी श्री राहुल वैष्णव उर्फ गोलू, आरोपी श्री रणधीर सिंह को पृथक पृथक नोटिस नमूना आवाज दिया गया, मूल नोटिस पर आरोपीगण ने पृथक पृथक लिखित मे आवाज का नमूना नहीं देने बाबत् स्वयं हस्तलेख से लिखा।

तत्पश्चात् आरोपी श्री बृजमोहन मीणा, आरोपी श्री रणधीर सिंह तथा आरोपी श्री राहुल वैष्णव उर्फ गोलू का कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120 वी भादस के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया जाने पर जर्ये फर्द गिरफ्तारी पृथक पृथक गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया।

समय 03.30 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड से उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताएं जो परिवादी व आरोपीगण बृजमोहन भीणा व रणधीर सिंह के मध्य दिनांक 13.04.2022 को पृथक पृथक हुई थी। दिनांक 21.04.2022 को दौराने रिश्वत लेनदेन परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी व आरोपी राहुल वैष्णव उर्फ गोलू (दलाल) के मध्य हुई वार्ता, बाद रिश्वत लेनदेन दिनांक 21.04.2022 को आरोपी राहुल वैष्णव उर्फ गोलू व आरोपी रणधीर के मध्य हुई मोबाईल वार्ता, उक्त वार्ताओं को सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया है। उक्त वार्ताओं को डिजीटल वाईस रिकार्डर से लेपटॉप मे लिवाया जाकर, लेपटॉप के जरिये सी0डी0 मे डब्ड करवाकर वार्ता की छः सी0डी0 श्री भरत सिंह कानिं 515 के द्वारा तैयार करवाई गई। जिसमे से एक सी0डी0 माननीय न्यायालय के लिये, एक सी0डी0 नमूना आवाज के लिये व तीन सी0डी तीनो आरोपीगण के लिये पृथक पृथक कपडे की थैली मे रखकर शील्ड मोहर की गई एंव एक सी0डी0 अनुसंधान अधिकारी के लिए लिफाफे में रखाकर शामिल पत्रावली की गई। उक्त पांचो सील्ड थैलियो पर सील अकिंत की गई। उक्त सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मे लगा हुआ मेमोरी कार्ड NC Micro SD 4 GB मे उक्त वार्ताएं रिकार्ड होने से उक्त मेमोरी कार्ड को कपडे की थैली मे रखकर शील्ड मोहर कर मार्क –एम दिया गया। फर्द डबिंग पृथक से तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। मन् पुलिस अधीक्षक ने परिवादी की निशांदेही से दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गए।

समय 04.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक नरेश घौहान मय उक्त दोनो स्वतत्र गवाहान श्रा सविराय शर्मा, श्री गजानंद प्रसाद वर्मा मय जाप्ता श्री भरत सिंह कानि० 515, श्री नरेन्द्र सिंह कानि० 305, श्री मनोज कुमार कानि० 211 तथा योगेन्द्र सिंह कानि० 282, मय गिरफ्तार शुदा आरोपीण 305, श्री रणधीर कानिस्टेबल रेल्वे थाना रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी कोटा तथा श्री बृजमोहन मीणा निरीक्षक, श्री रणधीर कानिस्टेबल रेल्वे थाना रेल्वे स्टेशन रामगंजमंडी कोटा तथा श्री राहल वैष्णव उर्फ गोलू मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स के मय जप्तशुदा धोवन की कुल 04 शीशीयों

मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, रिश्वत राशि पांच हजार रुपये, एक पैकिट मेमोरी कार्ड का, पांच शील्डशुदा सी0डी0 व एक खुली सी0डी, आरोपी रणधीर व राहुल वैष्णव उर्फ गोलू के जप्तशुदा मोबाइल को हमराह लेकर तथा हमराह इमदाद टीम श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक, श्री दिलीप सिंह व0लि0, श्री मुकेश कुमार कानि0 71, श्री बृजराज कानि0 159 के पुलिस चौकी मौरुकलां थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण से पृथक पृथक वाहनों से एसीबी कार्यालय कोटा के लिये रवाना हुआ। परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी को मौके से रुकसत किया गया। उक्त हमराहीयान के एसीबी चौकी कोटा पहुँच कर जप्तशुदा धोवन की कुल 04 शीशीयॉ मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2 ए रिश्वत राशि पांच हजार रुपये, एक पैकिट मेमोरी कार्ड का, पांच शील्डशुदा सी0डी0 व एक खुली सी0डी, आरोपी रणधीर व राहुल वैष्णव उर्फ गोलू के जप्तशुदा मोबाइल को मालखाना प्रभारी श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 304 के सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। उक्त कार्यवाही के दोनों स्वतंत्र गवाहान को रुकसत किया गया।


उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं परिवादी श्री दुर्गेश बैरागी द्वारा संचालित लाईसेंसी महेश कुमार के नाम से लाईसेन्स नम्बर प0सं0 22221163000014 की चाय पानी की ट्रॉली को रामगंजमंडी रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 01 पर संचालन करने तथा रामगंजमण्डी रेल्वे स्टेशन पर चाय पानी बेचते हुये परेशान नहीं करने की एवज में 5000 रुपये प्रति महीने तथा इस महीने से 11,000 रुपये प्रति महीने के देने की मांग की तथा दौराने सत्यापन दिनांक 13.04.2022 को आरोपी श्री बृजमोहन, निरीक्षक द्वारा मासिक मन्थली बढ़ाकर 11,000 रुपये किये जाने बाबत रणधीर सिंह से बात करने की कहने तथा आरोपी श्री रणधीर सिंह द्वारा इस महीने से 11,000 रुपये प्रति महीने तथा पूर्व के 5000 रुपये दलाल राहुल वैष्णव उर्फ गोलू को देने की कहने एवं दौराने द्रेप कार्यवाही कस्बा दरा स्टेशन स्थित लाला जी स्वीट्स पर परिवादी से वार्ता कर रिश्वत राशि 5000/- रुपये आरोपी राहुल वैष्णव उर्फ गोलू द्वारा अपने हाथ में प्राप्त किये जाने तथा रिश्वती राशि राहुल वैष्णव उर्फ गोलू से बरामद होने तथा राहुल वैष्णव उर्फ गोलू के हाथों का धोवन मटमैला एवं हल्का गुलाबी आने तथा मोबाइल पर हुई वार्ता में रणधीर सिंह द्वारा आरोपी राहुल वैष्णव उर्फ गोलू द्वारा परिवादी श्री दुर्गेश से 5000 रुपये प्राप्त किये जाने पर सहमत होने से आरोपीगण 1. श्री बृजमोहन मीणा पुत्र श्री रामफल मीणा उम्र 58 साल जाति मीणा निवासी मु0पो0 जगजीवनपुर तहसील व जिला भरतपुर, निवास 2-म0न0 34 गोविन्दनगर जगतपुरा जयपुर, हाल निवास रेल्वे क्वाटर रामगंजमंडी हाल निरीक्षक, रेल्वे सुरक्षा बल थाना रामगंजमंडी कोटा 2. श्री रणधीर सिंह पुत्र श्री रमेशचंद जाति जाट उम्र 48 निवासी म0न0 12 यश विहार कॉलोनी सोगरिया रोड कोटा जंक्शन कोटा हाल कानि0 रेल्वे सुरक्षा बल थाना रामगंजमंडी कोटा एवं 3. श्री राहुल वैष्णव उर्फ गोलू पुत्र श्री नन्दलाल जाति बैरागी उम्र 26 साल निवासी- वार्ड नं. 11, दरा थाना कनवास जिला कोटा, प्राइवेट व्यक्ति का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द.स. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। डिटेनशुदा आरोपी श्री बृजमोहन, निरीक्षक, श्री रणधीर सिंह, कानि. एवं श्री राहुल वैष्णव उर्फ गोलू को पृथक से जर्ये फर्द गिरफ्तार किया जावेगा।

आरोपीगण 1. श्री बृजमोहन मीणा पुत्र श्री रामफल मीणा उम्र 58 साल जाति मीणा निवासी मु0पो0 जगजीवनपुर तहसील व जिला भरतपुर, निवास 2- म0न0 34 गोविन्दनगर जगतपुरा जयपुर, हाल निवास रेल्वे क्वाटर रामगंजमंडी हाल निरीक्षक, रेल्वे सुरक्षा बल थाना रामगंजमंडी कोटा 2. श्री रणधीर सिंह पुत्र श्री रमेशचंद जाति जाट उम्र 48 निवासी म0न0 12 यश विहार कॉलोनी सोगरिया रोड कोटा जंक्शन कोटा हाल कानि0 रेल्वे सुरक्षा बल थाना रामगंजमंडी कोटा एवं 3. श्री राहुल वैष्णव उर्फ गोलू पुत्र श्री नन्दलाल जाति बैरागी उम्र 26 साल निवासी- वार्ड नं. 11, दरा थाना कनवास जिला कोटा, प्राइवेट व्यक्ति का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द.स. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, जयपुर को वास्ते कमांकन प्रेषित है।

(नरेश चौहान)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो,
कोटा

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री बृजमोहन मीणा, निरीक्षक, रेल्वे सुरक्षा बल, थाना रामगंजमंडी कोटा, 2. श्री रणधीर सिंह, कानि. रेल्वे सुरक्षा बल, थाना रामगंजमंडी, कोटा एवं 3. श्री राहुल वैष्णव उर्फ गोलू निवासी वार्ड नं. 11, दरा थाना कनवास, जिला कोटा (प्राइवेट व्यक्ति) के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 137/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

क्रमांक 1206-11 दिनांक 22.4.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रेल्वे सुरक्षा बल, जबलपुर।
4. सीनियर मण्डल सुरक्षा आयुक्त, रेल्वे सुरक्षा बल, कोटा।
5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।


उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर